

आवश्यक
२ अस्ति

राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:— एफ. 3 (ख)(1) परीक्षा 2011/अलेसे-11/ 14888

दिनांक:— 19 अगस्त 2013

श्री नरेन्द्र सिंह,
87, रोज विला, सारस चौराहे के पास,
भरतपुर (राज०) 304024
321008

विषय:— लेखाकार सीधी भर्ती परीक्षा 2011 में चयनित होने के उपरान्त लेखाकार पद पर
नियुक्ति के क्रम में।

संदर्भ:— विभागीय पत्रांक 14560 दिनांक 24.07.2013

विषयान्तर्गत दिनांक 30.10.2012 को प्रगाण-पत्रों की जांच के दौरान उपरिथित होने पर आपसे
तत्समय बकाया रहे सन्तान प्रमाण-पत्र (मूल एवं सत्यापित फोटोप्रति) दिनांक 05 अगस्त 2013 तक विभाग
को प्रस्तुत करने हेतु संदर्भित पत्रांक 14560 दिनांक 24.07.2013 द्वारा निर्देशित किया गया था, किन्तु
आदिनांक तक आपके द्वारा विभागीय आदेशों की अवहेलना कर वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

अतः इस क्रम में आपको सूचित किया जाता है कि उपरोक्त बकाया सन्तान प्रमाण-पत्र (मूल एवं
सत्यापित फोटोप्रति) दिनांक 29 अगस्त 2013 तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें, अन्यथा यह मानते हुए कि
आप विभाग में लेखाकार पद पर कार्यग्रहण करने के इच्छुक नहीं हैं, आपकी नियुक्ति की पात्रता को रद्द
करते हुए तदनुसार राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजगेर को सूचित कर दिया जावेगा जिसका समस्त
उत्तरदायित्व आपका होगा।


निदेशक

क्रमांक:— एफ. 3 (ख)(1) परीक्षा 2011/अलेसे-11/ 14889

दिनांक:— 19 अगस्त 2013

प्रतिलिपि उपनिदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।


अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)